Report generated on 17/07/2018 18.30.24

# Comprehensive Financial Management System, Government of Bihar

## Urban Development & Housing Department,Vikash Bhavan,New Secretariat,PATNA,Bihar,

## Urban Development and Housing Department

Telephone: ,

## Grant-In Aid

**File Number : 2B/Na.Ni.-02-05/2017** **Date : 17/07/2018**

**Order Number : 2783** **Stakeholder Code : URB1010000**

**Subject: Allotment of Rs.282.62682 Lakh in FY 2018-19 under Scheme.**

**Reference Number : Sanction order No.- 20 Dated- 09/07/2018**

**Preamble : Nala Nirman and other sanitation works.**

**Sanction is hereby accorded for expenditure of**

**Head of Account Detail:-**

**Demand Number:** 48- Urban Development and Housing Department

**Major Head:** 2215- Water Supply and Sanitation

**Sub-Major Head:** 02- SEWERAGE AND SANITATION

**Minor Head:** 191- ASSISTANCE TO LOCAL BODIES, MUNICIPALITIES ETC.

**Sub Head:** 0102 - NA

**Head of Account:** 48-2215021910102

**Total Budget Provision** - 12,00,00,000

**Allotment before this Allotment** - 0

**Present Allotment Amount** - 2,82,62,682

**Allottee/Sub-Allottee Office** - Urban Development & Housing Department

**Purpose** - Capacity enhancement of Drainage Pumping Plants

**Financial Year** - 2018-2019

**Amount - Rs.** 2,82,62,682- Two Crore Eighty-Two Lac Sixty-Two Thousand Six Hundred Eighty-Two

**Recipient/s-** Refer Annexure-I for Recipient Details

**DDO Designation Authorized to draw the amount-** Municipal commissioner, Patna Municipal corporation.

**File Number : 2B/Na.Ni.-02-05/2017** **Order Number : 2783** **Date : 17/07/2018**

**Additional text-** Expenditure of the allotted amount will be as per the provisions mentioned in the Sanction order No. 20 Dated-09/07/2018

The sanction has been issued as per approval obtained from H'ble Minister

**Vide File Number** 2B/Na.Ni.-02-05-/2017 **Dated** 02/07/2018

**Copy Forwarded To -**

1. AG, Bihar

2. Finance Department (Budget Section)

3. Divisional commissioner, Patna division, Patna/ District Magistrate, Patna/ Municipal commissioner, Patna/ Related Treasury officer/ MD, BRJP

4. Planning Department, Biahr

5. Local Account Examiner, Bihar/PS to H'ble Minister, Urban development and Housing Department

File Number : 2B/Na.Ni.-02-05/2017 Order Number : 2783 Date : 17/07/2018

## Annexure - I

**Head of Account:** 48-2215-02-191-0102-NA
**Allottee/Sub Allottee Code:** PTCURB005
**Allottee/Sub Allottee designation:** MUNICIPAL COMMISSIONER P.M.C PATNA

| Allotment ID | Object Head | Allotted Amount |
|---|---|---|
| 99599 | 31-05-Subsidiary grant-in-construction of | 2,82,62,682 |
| | **Total:** | 2,82,62,682 |

**Urban Development and Housing Department**
**Urban Development and Housing**

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/ना०नि०–02–05/2017 20 /न०वि०एवंआ०वि०

# बिहार सरकार
# नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक– 09/07/18

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर Pumping Plant में Sub Pump Set, VT Pump Set आदि के अधिष्ठापन हेतु नाला निर्माण मद से संबंधित कुल ₹565.25365 लाख (पाँच करोड़ पैंसठ लाख पच्चीस हजार तीन सौ पैंसठ रु०) मात्र की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹282.62682 लाख (दो करोड़ बेरासी लाख बासठ हजार छः सौ बेरासी रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

**आदेशः– स्वीकृत।**

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद के पत्रांक– 2297, दिनांक– 05.12.2017, पत्रांक– 180, दिनांक– 29.01.2018 एवं पत्रांक– 312, दिनांक– 13.02.2018 द्वारा निम्नतालिका के स्तम्भ– 3 में अंकित पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर Pumping Plant में Sub Pump Set, VT Pump Set आदि के अधिष्ठापन हेतु राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2. तद्नुसार उक्त अनुरोध एवं आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए स्तम्भ– 3 में अंकित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ– 5 में अंकित राशि के अनुरूप कुल ₹565.25365 लाख (पाँच करोड़ पैंसठ लाख पच्चीस हजार तीन सौ पैंसठ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ– 6 के अनुरूप तत्काल ₹282.62682 लाख (दो करोड़ बेरासी लाख बासठ हजार छः सौ बेरासी रु०) मात्र निम्नवत् स्वीकृत की जाती है :–

(राशि लाख में)

| क्र० सं० | नगर निकाय का नाम | योजना का नाम | तकनीकी अनुमोदन की राशि | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | तत्काल स्वीकृत राशि | अवशेष राशि (5–6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | नगर निगम, पटना | PFR for supply, installation & commissioning of 100HP VT pump set at BRJP drainage pumping plant, Rajbanshi Nagar. | 28.44100 | 28.15900 | 14.07950 | 14.07950 |
| 2 | | PFR for Supplying, installation & Commissioning of 350HP VT Pump set at Storm Drainage Pumping Station, Pahari old & Pahari New under BRJP. | 371.75600 | 368.07492 | 184.03746 | 184.03746 |
| 3 | | PFR for Supplying, installation & Commissioning of 2x150HP non-clog submersible Pump set at BRJP drainage pumping plant, Yogipur. | 170.71000 | 169.01973 | 84.50986 | 84.50987 |
| | | कुल योग | 570.90700 | 565.25365 | 282.62682 | 282.62683 |

G:\Kamlesh\Section - 2 (18-19)\GO 2018-19\GO_ Nala.doc

**अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹282.62682 लाख (दो करोड़ बेरासी लाख बासठ हजार छः सौ बेरासी रु०) मात्र।**

***इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।***

3. योजनाओं का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद, पटना द्वारा किया जाएगा।

4. स्वीकृत कुल ₹282.62682 लाख (दो करोड़ बेरासी लाख बासठ हजार छः सौ बेरासी रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 354, दिनांक– 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना निकासी के उपरांत राशि का हस्तांतरण बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से बिहार राज्य जल पर्षद को कर देंगे। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।**

5. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7. स्वीकृत राशि ₹282.62682 लाख (दो करोड़ बेरासी लाख बासठ हज़ार छः सौ बेरासी रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 मुख्य शीर्ष– 2215–जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष– 02–मल जल तथा सफाई, लघु शीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष–0102–नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड– **48-2215021910102**, विषय शीर्ष– 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी।

8. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:–

(i) **योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा किया जाएगा।**

(ii) जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण–लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

*(v) सम्प हाउस पर विभाग एवं बिहार राज्य जल पर्षद का नाम सुंदर तरीके से अंकित कराया जाएगा।*

(vi) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–2ब०/ना०नि०–02–05/2017 के पृष्ठ सं०– ...32....../टि० पर दिनांक– ...22.06.2018.. को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– ...33......./टि० पर दिनांक– ...02.07.2018..... को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पषर्द/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**

03.07.18

**सरकार के विशेष सचिव।**

ज्ञापांक–2ब०/ना०नि०–02–05/2017 20 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 09/07/18

**प्रतिलिपि:**– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/मुख्य अभियंता, बुडा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेष कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.07.18

**सरकार के विशेष सचिव।**

G:\Kamlesh\Section - 2 (18-19)\GO 2018-19\GO_Nala.doc